अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

बी.ई./फार्मेसी (बी./डी.)/एमबीए/एमसीए/पीजीडीएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु

ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग कार्यक्रम (प्रथम चरण), सत्र 2011–12

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं के घोषित परिणामों के आधार पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार (मेरिट सूची तथा प्रतीक्षा सूची के समस्त उम्मीदवार) तालिका में दिये गये कार्यक्रमानुसार ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग में इंटरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गाँव से, अधिकृत सहायता केन्द्रों से अथवा एमपीऑनलाइन के मध्यप्रदेश स्थित किसी भी कियोस्क से वेबसाईट www.dtempcounselling.org या www.mponline.gov.in के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं। अधिकृत सहायता केन्द्रों–सह–कियोस्क केन्द्रों की सूची उपरोक्त दोनों वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी ।

//समय–सारणी//

क्र.	संपादित की जाने वाली कार्यवाही	पाठ्यक्रम का नाम तथा निर्धारित तिथियां				
		बी.ई. (पीईपीटी 2011 आधारित)	फार्मेसी (बी./डी.) पाठ्यक्रम (पीईपीटी 2011 आधारित)	एमबीए पाठ्यक्रम (एमईटी 2011 आधारित)	एमसीए पाठ्यक्रम (प्री एमसीए 2011 आधारित)	पीजीडीएम पाठ्यक्रम (एमईटी 2011 आधारित)
1.	ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Online Registration)	18/07/2011 से 25/07/2011 को अपरान्ह 3 बजे तक	15/07/2011 से 23/07/2011 को अपरान्ह 3 बजे तक	13/07/2011 से 18/07/2011 को अपरान्ह 3 बजे तक	13/07/2011 से 18/07/2011 को अपरान्ह 3 बजे तक	13/07/2011 से 18/07/2011 को अपरान्ह 3 बजे तक
2.	दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification) 1) प्रवेश परीक्षा में किसी आरक्षित श्रेणी/वर्ग से सम्मिलित अभ्यर्थियों को ही अपने दस्तावेजों का सत्यापन निकट के अधिकृत सहायता केन्द्रो (Help Centres) से करवाना है। 2) प्रवेश परीक्षा में अनारक्षित (बिना वर्ग) से सम्मिलित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के उपरांत सीधे अपनी इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का चयन कर लॉक कर सकेंगे।	18/07/2011 से 25/07/2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)	15/07/2011 से 23/07/2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)	13/07/2011 से 18/07/2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)	13/07/2011 से 18/07/2011तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)	13/07/2011 से 18/07/2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)
3.	इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना (Online Preference Selection, Choice Filling and Locking)	18/07/2011 से 25/07/2011 की रात्रि 11.45 बजे तक (सहायता केन्द्रों में अपरान्ह 5 बजे तक)	15/07/2011 से 23/07/2011 की रात्रि 11.45 बजे तक (सहायता केन्द्रों में अपरान्ह 5 बजे तक)	13/07/2011 से 18/07/2011 की रात्रि 11.45 बजे तक (सहायता केन्द्रों में अपरान्ह 5 बजे तक)	13/07/2011 से 18/07/2011 की रात्रि 11.45 बजे तक (सहायता केन्द्रों में अपरान्ह 5 बजे तक)	13/07/2011 से 18/07/2011 की रात्रि 11.45 बजे तक (सहायता केन्द्रों में अपरान्ह 5 बजे तक)
4.	आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता एवं आवंटित संस्था में उपस्थिति (Online availability of Allotment Letter & Reporting at Allotted Institution)	30/07/2011 से 04/08/2011 सायं 5.30 बजे तक	27/07/2011 से 31/07/2011 सायं 5.30 बजे तक	22/07/2011 से 28/07/2011 सायं 5.30 बजे तक	21/07/2011 से 27/07/2011 सायं 5.30 बजे तक	22/07/2011 से 02/08/2011 सायं 5.30 बजे तक
6.	अपग्रेडेशन का विकल्प ऑनलाइन प्रस्तुत करना (Online submission of Upgradation option)	30/07/2011 से 04/08/2011 की रात्रि 11.45 बजे तक	27/07/2011 से 31/07/2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से रात्रि 11.45 बजे तक)	22/07/2011 से 28/07/2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से रात्रि 11.45 बजे तक)	21/07/2011 से 27/07/2011तक (प्रातः 10.30 बजे से रात्रि 11.45 बजे तक)	लागू नहीं
7.	अपग्रेडेशन के पश्चात आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता तथा आवंटित संस्थान में उपस्थिति (Online availability of Allotment Letter and Reporting at allotted institution after upgradation)	06/08/2011 से 10/08/2011 सायं 5.30 बजे तक	04/08/2011 से 08/08/2011 सायं 5.30 बजे तक	01/08/2011 से 06/08/2011 सायं 5.30 बजे तक	30/07/2011 से 05/08/2011 सायं 5.30 बजे तक	लागू नहीं

महत्वपूर्णः– प्रत्येक कार्यवाही उपरांत ऑनलाइन रसीद अवश्य प्राप्त करें।

नोट :–

- इस काउंसलिंग में अनारक्षित (UR) श्रेणी (बिना वर्ग) के उम्मीदवारों को दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों से नहीं कराना है, वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के उपरांत सीधे तीसरे स्टेप अर्थात् ''इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर, प्राथमिकताक्रम को लॉक'' कर सकते हैं।
- सभी आरक्षित श्रेणी/वर्ग से प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को **ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के उपरांत अपने दस्तावेजों सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों से कराना आवश्यक है।** जिन आरक्षित श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को सत्यापन कराना है वे निम्नानुसार हैं:–
  - केवल आरक्षित श्रेणी/वर्ग के उम्मीदवार यथा मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति (ST)/ अनुसूचित जाति (SC)/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर,) (OBC) के सभी उम्मीदवार,
  - मध्यप्रदेश के समस्त श्रेणी के विकलांग/सैनिक/स्व.संग्राम सेनानी/तकनीकी संवर्ग (TS) के सभी उम्मीदवार
  - म.प्र. राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पाल्य/म.प्र. राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के पाल्य जो **मेरिट रैंक** में हैं **(मेरिट रैंक की अतिरिक्त जानकारी के लिये वेबसाइट देखें)– केवल बी.ई. पाठ्यक्रम के लिये।**
  - जम्मूकश्मीर निवासी/विस्थापित (J&K Resident/Migrant) के सभी उम्मीदवार।

- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर देय शुल्क समस्त श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये रु 480/– (रु 30/– पोर्टल शुल्क सहित), उक्त शुल्क वापसी योग्य नहीं (नॉन–रिफण्डेबल) होगा।
- ऑनलाइन संस्थाओं की प्राथमिकताक्रम के चयन उपरांत लॉक करने हेतु, अनारक्षित श्रेणी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवारों को आंशिक शिक्षण शुल्क रू 5100/– (रू. 100/–पोर्टल चार्जेस सहित) तथा मध्यप्रदेश के आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) उम्मीदवारों को शुल्क रू 1100/– (रू. 100/–पोर्टल चार्जेस सहित) का भुगतान करना होगा।
- शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीजा/माएस्ट्रो कार्ड) से किया जा सकता है। उक्त सुविधा न होने पर किसी भी अधिकृत सहायता केन्द्रों (काउंसिलिंग प्राधिकारी द्वारा अधिकृत) अथवा एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान द्वारा किया जा सकता है। **नगद भुगतान के विकल्प के उपयोग करने पर अभ्यर्थी को सलाह है कि अपनी सुविधानुसार सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन/च्वाईस फिलिंग की कार्यवाही इंटरनेट पर कहीं से भी संपादित कर सेव्ह (Save) कर लें तत्पश्चात् ही** किसी सहायता केन्द्र/कियोस्क पर जाकर नगद भुगतान कर ऑनलाइन रसीद प्राप्त करें।
- अधिकृत **सहायता केन्द्रों (Help Centres)** (जोकि मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त पोलीटेक्निक महाविद्यालय/महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय/राज्य के स्वशासी एवं अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं) की जिसकी सूची वेबसाइट www.dtempcounselling.org तथा www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।
- जिन अभ्यर्थियों ने ''शिक्षण शुल्क छूट योजना'' के तहत् **आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश ले लिया है** वे इस काउंसलिंग में सम्मिलित न होवें। शिक्षण शुल्क छूट योजना के तहत् **आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थियों** को इस काउंसलिंग में आवंटन नहीं किया जावेगा।
- शिक्षण शुल्क छूट योजना की काउंसलिंग में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ था अथवा जिन्होंने आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश नहीं लिया है अथवा प्रवेश लेने के इच्छुक नहीं है, वे इस काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं।
- **प्रवेश नियम व काउंसलिंग प्रक्रिया** की विस्तृत जानकारी www.dtempcounselling.org तथा www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है जिसका उम्मीदवार सूक्ष्मता से अध्ययन कर लेवें।
- सम्पर्क फोन नं. 0755–4019025

अध्यक्ष–काउंसिलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश